

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::


संख्या-14/निजी-1135/2024-
को0क्र0-479/26, विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा
संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-19.05.2026 से दिनांक-12.06.2026 तक
कुल-25 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती मेनका सिंह को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632,
दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन
पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1135/2024- 8286 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 12/05/2026
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र
में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना/अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-2862,
दिनांक-30.04.2026 के संदर्भ में/श्रीमती मेनका सिंह, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं
भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर
अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।